न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 83 / 2019
59

उनवान

1 रामकरण पुत्र रामनाथ
2. गोरधन पुत्र रामनाथ
3. मोती पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी ग्राम भटियानी, नसीराबाद
—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाला माली

बनाम

1. रामदेव पुत्र चन्द्रा जाति भांबी निवासी ग्राम रूपपुरा बान्दनवाडा, भिनाय
2. शिवराज पुत्र छगना
3. धर्मराज पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम भटियानी, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थीगण :– 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
4 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–: आदेश :–

दिनांक :– 20.2.20

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटियानी के खसरा नम्बर 3045 रकबा 0.46 व 3044 रकबा 3.38 की आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी है, जिस पर प्रार्थीगण कदीम से काबिज काश्त है। उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 1788 वर्किंग खसरा नम्बर 2604 व 2605 के नक्शे की तुलना में हाल राजस्व मानचित्र में छोटा अंकित कर दिया है। जिस कारण प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 3045 के कोने में खुदे हुये चाह को अप्रार्थीगण बदनियति से हडपने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अंतरिम अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन मिथ्या व मनगंढत होने से अस्वीकार है। दिनांक 1.7.19 को श्रीमान् तहसीलदार नसीराबाद के आदेश क्रमांक/भू.अ./19/2528 दिनांक 24.06.2019 की पालना में ग्राम भटियानी के खसरा नम्बर 3011, 3026, 3030, 3031, 3031/3515,

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

3046, 3047, 3047/3657, 3048, 3049 की आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा किया गया। उक्त रिर्पोट अनुसार खसरा नम्बर 3010 के कुछ भाग पर चाह खोदा जा रहा है एवं पत्थर व मिटटी की डोल डाल कर रामकरण, मोती पुत्र हरनाथ व गोरधन पिता रामनाथ ने अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण ने अप्रार्थी की आराजी पर दखलदांजी की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने आर आर टी 2015 (2) पेज 976–978 पेज 1115–1118 व आर.बी.जे. (11) 2004 पेज 270–272 की नजीर पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रस्तुत नजीरो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3045 व 3044 प्रार्थीगण व खसरा नम्बर 3010, 3010/3518 अप्रार्थी खातेदारी की है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त आराजी का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण हाने के कारण रकबा कम कर दिया है जिस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है व प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण का कथन है कि पूर्व में उक्त आराजी का सीमाज्ञान किया गया था जिसके अनुसार प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 3010 के कुछ हिस्से पर चाह खोद लिया है व पत्थर डाल दिये है। किन्तु राजस्व कार्मिको द्वारा उक्त सीमाज्ञान हाल राजस्व मानचित्र से किया है जबकि प्रार्थीगण ने हाल राजस्व मानचित्र को दुरूस्त करने हेतु ही वाद पेश किया है। प्रार्थी व अप्रार्थी के खेतों की सीमा लगती हुयी है। राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे। किन्तु मूल वाद के निस्तारण तक हाल राजस्व मानचित्र से किये गये सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण को उक्त आराजी का अतिक्रमी नही माना जा सकता है।

प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। एवं उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थी आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण का कथन है कि रेकोर्ड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेघाज्ञा जारी नही की जा सकती किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र की सत्यता का निर्धारण किया जाना शेष है। हाल राजस्व मानचित्र के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त आराजी से बेदखल करते है तो मौके पर वाद बहुलता होगी। ऐसी परिस्थितियों में अप्रार्थीगण के विरूद्व व्यायादेश जारी किया जाना न्यायोचित होगा। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरे प्रकरण में चस्पा नही होती है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर प्रवेश करते है अथवा अन्यत्र हस्तांतरण करते है तों अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्ट्या बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम भटियानी की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.03.04 14:18:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: